न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 87/2018

पीठासीन अधिकारी — करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सत्यनारायण उम्र 51 वर्ष पुत्र मखन।
2 शोभा देवी उम्र 48 वर्ष पुत्र मखन।
3 कैलाश उम्र 58 वर्ष पुत्र मखन।
4 इन्द्रा देवी उम्र 45 वर्ष पुत्र मखन।
5 रूकमणी देवी उम्र 78 वर्ष पत्नी मखन समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मनोज कुमार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी कूदन तहसील धोद जिला सीकर।
2 हल्का पटवारी वाकै ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर।
3 उप पंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर।
4 तहसीलदार धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।
5 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जरिये शाखा प्रबन्धक।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर 2 सीकर दावा सख्या 18/18 प्रकरण मनोज कुमार बनाम सत्यनारायण निर्णय व प्राथमिक डिकी दिनांक 25.06.2018 आगामी तारिख पेशी दिनांक 30.08.2018

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 88 / 2018

1 सत्यनारायण उम्र 51 वर्ष पुत्र मखन।
2 शोभा देवी उम्र 48 वर्ष पुत्र मखन।
3 कैलाश उम्र 58 वर्ष पुत्र मखन।
4 इन्द्रा देवी उम्र 45 वर्ष पुत्र मखन।
5 रूकमणी देवी उम्र 78 वर्ष पत्नी मखन समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 मनोज कुमार पुत्र भगवान सिंह जाति जाट निवासी कूदन तहसील धोद जिला सीकर।
2 राजकुमार पुत्र रामेश्वर।
3 नन्दकिशोर पुत्र रामेश्वर।
4 आराम देवी पुत्री रामेश्वर।
5 तारामणी पुत्री रामेश्वर।
6 मुन्नी देवी पुत्री रामेश्वर।
7 हल्का पटवारी वाकै ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर।
8 उप पंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर।
9 तहसीलदार धोद जिला सीकर प्रतिनिधि भूमिधारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व प्राथमिक डिकी न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर दावा संख्या 17/18 प्रकरण मनोज कुमार बनाम राजकुमार वगैरह निर्णय प्राथमिक डिकी दिनांक 25.08. 2018 आगामी तारिख पेशी दिनांक 30.08.2018

उपस्थित

1. श्री विजय सिंह तंवर अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री रामेश्वर लाल बिजारणियां अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री प्रभातीलाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–04.02.2019

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय द्वारा दावा संख्या 18/2018 में पारित प्राथमिक डिकी दिनांक 25.06.2018 एवं दावा संख्या 17/2018 में पारित प्राथमिक डिकी 25.06.2018 के विरूद्व अलग–अलग प्रस्तुत की गई है दोनों अपीलों में विवादित भूमि एवं पक्षकार समान होने से दोनों का निर्णय एक ही आदेश से किया जा रहा है निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलीयों में अलग–अलग रखी जायेगी।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दावा संख्या 17/2018 में वादी ने खसरा नम्बर 582,583,584 कुल किता 3 कुल रकबा 1.75

हैक्टेयर ग्राम कूदन तहसील धोद जिला सीकर एवं दावा संख्या 18/2018 में वादी ने खसरा नम्बर 124 रकबा 1.43 हैक्टेयर ग्राम कूदन तहसील धोद के सन्दर्भ में विभाजन का अनुतोष चाहा विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय दिनांक 25.06.2018 से प्राथमिक डिक्री जारी की है। जिससे व्यथित होकर यह पृथक–पृथक अपीलें प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष ने विचारण न्यायालय के विचाराधीन निर्णय अपास्त कर प्रकरण उभयपक्ष को सुनकर पुन निर्णय हेतु रिमाण्ड करने पर सहमती व्यक्त की।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद प्रस्तुत करने के दिन ही प्रतिवादीगण की तलबी किये बिना प्राथमिक डिक्री जारी की है। जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य है। उभयपक्ष ने प्रकरण रिमाण्ड करने पर सहमती व्यक्त की है। इसे ध्यान में रखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.02.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

4.2.19

(करतार सिंह पूनियां)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर